न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 74/2023 बउनवानी धनलक्ष्मी उर्फ सुनिता बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला निर्वाचन अधि.स0मा0, पत्नि कमलकिशोर नि0 एफ.22 किरण बिहार त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर,/ मूल निवास प्लाट नम्बर 75,रामलीला मैदान खण्डार

GCMS No-2023/158

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.12.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 3.10.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. दिनांक 26.9.2023 को जिला कलेक्टर महोदय को एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जिसमे मूल प्रति सहित आर्डर की प्रमाणित प्रतिलिपी दी जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यांयालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा गलत सूचना दी गयी है। अतः सही एवं स्पष्ट सूचना दिलवायी जावे। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक/चुनाव/सूकाअ/2023/10063 दिनांक 12.12.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 03.10.2023 की सूचना उपलब्ध करवाने के लिए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र उप जिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्रांक/निर्वाचन/2023/5002 दिनांक 9.10.2023 से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी खण्डार को भिजवाये जाने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी खण्डार के पत्रांक न्याय/2023/738 दिनांक 18.10.2023 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 26.9.2023 के अनुसार एस.बी.रिट संख्या 18373/2019 एवं समीक्षा याचिका संख्या 117/2022 व प्रार्थना पत्र संख्या 146/2022 मे माननीय उच्च न्यायालय मे उपजिला कलेक्टर एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के साथ उपजिला कलेक्टर खण्डार एवं तहसीलदार खण्डार को तलब किये जाने बाबत लिखा है जिसके संबंध में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी खण्डार द्वारा अपीलान्ट को लिखा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रमाणित छायाप्रति माननीय उच्च न्यायालय से नियमानुसार प्राप्त करे। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 3.10.2023 मे चाही गयी सूचना के संबंध मे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से इस प्रकार अवगत कराया गया है कि "माननीय उच्च न्यायालय मे प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र की प्रति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त करे " जो उचित नही है क्योकि शपथ पत्र की प्रति उनकी कार्यालय प्रति से भी उपलब्ध करवायी जा सकती है। अतः निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार को निर्देशित किया जाता है कि मा0राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रति अपीलान्ट को 7 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2024.01.10 12:07:54 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner